

29.08.2022:-

आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी रगा सिंह जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र झोरड उपस्थित आये। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिये वादी अपना वादपत्र में आगे नहीं चलाना चाहती है। उक्त प्रार्थना-पत्र पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र झोरड द्वारा की गई। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

